

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 257 / गोपनीय / 2016
II-2-33/57 (Pt.-12)

जबलपुर, दिनांक 01 मार्च, 2016

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्वारा, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. क्रमांक I-1/2002/21-ब (एक)/521, दिनांक 16 फरवरी, 2016 के अंतर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को स्तम्भ (4) में उल्लेखित कुटुम्ब न्यायालय में, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने (सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट दिनांक) अथवा अन्य आदेश दिनांक तक, जो भी पहले हो, पदस्थ करता है :—

सा र णी

क्र.	सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी का नाम	62 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री ओम प्रकाश शर्मा (जूनियर), सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश।	30.11.2017	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन की हैसियत से श्री विनोद कुमार दुबे के स्थान पर।
2	श्री अखिलेश चन्द्र शुक्ला, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश।	31.12.2017	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी की हैसियत से रिक्त न्यायालय पर। श्री अखिलेश चन्द्र शुक्ला उपरोक्त पदस्थापना के साथ-साथ प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 10 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट में, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे।
3	श्री विनोद भारद्वाज, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश।	31.01.2018	द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल की हैसियत से श्री रमाकांत दुबे के स्थान पर। श्री विनोद भारद्वाज उपरोक्त पदस्थापना के साथ-साथ प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 7 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर में, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे।

टिप्पणी :— उपरोक्त सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय, नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत होगा।

*अधिकारी
विनोद भारद्वाज*

क्रमांक 258 / गोपनीय / 2016
II-2-33/57 (Pt.-12)

जबलपुर, दिनांक 01 मार्च, 2016

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्वारा, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के अधिसूचना दिनांक 2/4-03-2002, 14-01-2005, 04-11-2009, 20-05-2011 एवं 30-07-2013 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय हेतु उक्त विभाग के आदेश फा. क्रमांक I-1/2002/21-ब (एक)/521, दिनांक 16 फरवरी, 2016 के अंतर्गत नियुक्त मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के कार्यरत, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक स्तम्भ (3) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (5) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता है :—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना।	पन्ना	रीवा	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा की हैसियत से श्री शिव नारायण खरे के स्थान पर। श्री अवधेश कुमार पाण्डेय उपरोक्त पदस्थापना के साथ-साथ प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 15 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय, सतना में, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे।
2	श्री अविनाश कुमार खरे, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, शाजापुर।	शाजापुर	नीमच	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नीमच की हैसियत से रिक्त स्थान पर। श्री अविनाश कुमार खरे उपरोक्त पदस्थापना के साथ-साथ प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 10 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर में, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे।

टिप्पणी :- उक्त आदेश के सरल क्रमांक 1 पर दर्शित अधिकारी श्री अवधेश कुमार पाण्डेय एवं सरल क्रमांक 2 पर दर्शित अधिकारी श्री अविनाश कुमार खरे, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. क्रमांक I-1/2002/21-ब (एक)/521, दिनांक 16 फरवरी, 2016 के अंतर्गत उनकी नियुक्ति कुटुम्ब न्यायालय में होने से, अपनी अधिवार्षकीय आयु दिनांक 31.03.2016 के पश्चात् कुटुम्ब न्यायालय में उक्त आदेश में वर्णित तिथि, क्रमशः दिनांक 16.03.2018 एवं 26.03.2018 अथवा आगामी आदेश होने तक कार्य करते रहेंगे। सेवानिवृत्ति के पश्चात् उक्त न्यायिक अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय, नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत होगा।

01/03/16
अवधेश

क्रमांक २५९ / गोपनीय / 2016
II-2-33/57 (Pt.-12)

-3-

जबलपुर, दिनांक 01 मार्च, 2016

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्वारा निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय को, उनके घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त, सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में उल्लेखित कुटुम्ब न्यायालय एवं अवधि के लिये, शृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु आदेशित करता है :-

सा र पी

क्र.	पीठासीन अधिकारी का नाम व वर्तमान पदस्थापना का स्थान	शृंखला न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री प्रदीप सोनी (सीनियर), अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर।	श्री प्रदीप सोनी (सीनियर) वर्तमान पदस्थापना के साथ-साथ प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दतिया का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 7 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय, दतिया में, शृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे।
2	श्री श्रीराम शर्मा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल।	श्री श्रीराम शर्मा वर्तमान पदस्थापना के साथ-साथ प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, विदिशा का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 7 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय, विदिशा में, शृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे।


क्रमांक २६० / गोपनीय / 2016
II-2-33/57 (Pt.-12)

जबलपुर, दिनांक 01 मार्च, 2016

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्वारा, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक स्तम्भ (3) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (5) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता है :-

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री शिव नारायण खरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा।	रीवा	जबलपुर	प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर की हैसियत से रिक्त स्थान पर।
2	श्री नारायण सिंह लावरिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दतिया।	दतिया	शिवपुरी	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शिवपुरी की हैसियत से रिक्त स्थान पर। श्री नारायण सिंह लावरिया वर्तमान पदस्थापना के साथ-साथ कुटुम्ब न्यायालय, श्योपुर का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 15 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय, श्योपुर में, शृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,


(मनोहर ममतानी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 261 / गोपनीय / 2016
II-2-33/57 (Pt.-12)


जबलपुर, दिनांक 01 मार्च, 2016

प्रतिलिपि :-

1. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को उनके आदेश फा. क्रमांक I-1/2002/21-ब (एक)/521, दिनांक 16 फरवरी, 2016 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित ।
3. (1) श्री ओम प्रकाश शर्मा, 191, न्याय नगर, सुखलिया, मारथोमा स्कूल के पास, जिला इंदौर (म0प्र0)।
(2) श्री श्री अखिलेश चन्द्र शुक्ला, द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना (म0प्र0)।
(3) श्री विनोद भारद्वाज, काशी नरेश की गली, जिला ग्वालियर (म0प्र0)।
(4) श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना (म0प्र0)।
(5) श्री अविनाश कुमार खरे, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, शाजापुर (म0प्र0)।
(6) श्री शिव नारायण खरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा (म0प्र0)।
(7) श्री नारायण सिंह लावरिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दतिया (म0प्र0)।
को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। वे कृपया अपनी नवीन पदस्थापना पर दिनांक 16 मार्च, 2016 अथवा इसके पूर्व अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करें तथा तत्संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।
(1) श्री प्रदीप सोनी (सीनियर), अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर (म0प्र0)।
(2) श्री श्रीराम शर्मा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल (म0प्र0)।
को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।
4. कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन/ सिवनी/ बालाघाट/ भोपाल/ सीहोर/ रीवा/ सतना/ नीमच/ मन्दसौर/ दतिया/ विदिशा/ जबलपुर/ ग्वालियर/ शिवपुरी/ श्योपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया संबंधित अधिकारी को कार्यभार छोड़ने संबंधि इस प्रकार निर्देश देवें, जिससे कि वे अपनी नवीन पदस्थापना पर 16 मार्च, 2016 अथवा इसके पूर्व अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें तथा तत्संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।
6. कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर/जिला जज (निरीक्षण), जे0ई0-1 जजेस ऐनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इंदौर-452001/जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकार्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म0प्र0)को सूचनार्थ अग्रेषित ।
8. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर, इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित ।
9. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित ।
10. सदस्य सचिव / उप सचिव मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
11. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (Vigilance) / (I. L. R. & Examination) / (Judicial) उच्च न्यायालय, म.प्र., जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

[Signature]
ग्रन्थी
ग्रन्थी

12. प्रभारी संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक आकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
13. रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary) / (District Establishment) / (Vigilance & Litigation) / (Judicial-II) / (Judicial-I) / Registrar-cum-Secretary M.P., High Court Legal Services Committee, Jabalpur / (Administration) / (E) / लेखा अधिकारी / बजट अधिकारी / ज्वाईट रजिस्ट्रार (Protocol) / डिप्टी रजिस्ट्रार (Judicial), उच्च न्यायालय, म.प्र., जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
14. रजिस्ट्रार-कम-माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय को सूचनार्थ अग्रेषित ।
15. डिप्टी रजिस्ट्रार-सह-रजिस्ट्रार जनरल की निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
16. माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
17. माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्डौर / इन्डौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
18. माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
19. अनुभाग अधिकारी पेन्शन / बजट / सहायक (कार्य) / शिकायत / वेतन निर्धारण (राजपत्रित) / अग्रिम / अवकाश (राजपत्रित) / सिविल चेकर / क्रिमिनल चेकर / वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक, कम्प्यूटर विभाग, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।


(मनोहर मतानानी)
रजिस्ट्रार जनरल
